उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1666 वर्ष 2018

श्रीमती नीरा बत्रा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

..... प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री रमाकांत गौड़, श्री नारायण दत्त और सुश्री स्नेहा आर्य, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता,

श्री एस एस चौहान, प्रतिवादी के अधिवक्ता

माननीय सुधांशु धूलिया, जज,

1. याचिकाकर्ता के पास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पेट्रोल और डीजल के लिये रिटेल आउटलेट डीलरशिप थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक शुरूआत में डीलरशिप उसके पति के पास थी जो 1970 से चली आ रही थी। दिनांक 10.07.2013 को याचिकाकर्ता के डीलरशिप रिटेल आउटलेट का औचक निरीक्षण किया गया और पेट्रोल और डीजल के नमूने लिये गये। रिटेल आउटलेट डीलरशिप में तीन टैंक थे। एक टैंक 45,000 लीटर डीजल की क्षमता वाला है और पेट्रोल के लिये भी अन्य दो टैंक थे, जो क्रमशः 10,000 लीटर और 20,000 लीटर की क्षमता के थे। सुविधा के लिये क्रमशः 10,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक को 'टैंक ए' कहा जाएगा और 20,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक को 'टैंक बी' कहा जाएगा। तिथि चार्ट जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया है –

	सेंपल का नमूना की तारीख	प्रयोगशाला द्वारा सेंपल प्राप्त करने की तारीख	परीक्षण की तारीख	रिपोर्ट की तारीख	याचिकाकर्ता द्वारा रिटेल आउटलेट प्राप्ति की तारीख	देरी, यदि कोई
तथ्यात्मक	10.07.2013	20.07.2013	22.07.2013	13.08.2013	08.10.2013	––

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि तथापि एमएस एंड एचएसडी के 2005 के आदेश के अनुसार नमूना रिपोर्ट याचिकाकर्ता को 9 अगस्त, 2013 तक मिल जानी चाहिए थी जबकि उसे यह रिपोर्ट 10 अक्टूबर, 2013 को प्राप्त हुई। इसलिये 60 दिनों की देरी है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तब भरोसा करेंगे पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा 20 (इसके बाद से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित), जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है –

> ''धारा 20 पुनः परीक्षण की आवश्यकता का अधिकार – (1) किसी भी पेट्रोलियम का मालिक, या उसका एजेंट, जो पेट्रोलियम के परिणाम से असंतुष्ट है, सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर परीक्षण परिणाम के सम्बन्ध में, धारा 14 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को पेट्रोलियम के नए नमूने लेने और परीक्षण करने के लिये आवेदन करे।
>
> (2) इस तरह के आवेदन और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पेट्रोलियम के नए नमूने ऐसे मालिक या एजेंट या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिये जाएंगे, और ऐसे मालिक या एजेंट या व्यक्ति की उपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है।
>
> (3) यदि ऐसे पुनः परीक्षण पर यह प्रतीत होता है कि मूल परीक्षण गलत था, परीक्षण अधिकारी धारा 19 के तहत दिये गये मूल प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा, एक नया प्रमाणपत्र बनाएगा और पेट्रोलियम के मालिक या उसका एजेंट को उसकी एक प्रमाणित प्रति के साथ निःशुल्क प्रस्तुत करेगा।

4. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसार इंटर अलिया, किसी पेट्रोलियम का मालिक, या उसका एजेंट, जो पेट्रोलियम के परीक्षण के परिणाम से असंतुष्ट है, उस तारीख से जिस दिन उसे परिणाम की सूचना मिली, परीक्षण के लिये धारा 14 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी को पेट्रोलियम के नए नमूने लेकर फिर से परीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। अधिनियम की धारा 14 पेट्रोलियम के निरीक्षण और नमूने के संदर्भ में है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है–

> ''धारा 14. पेट्रोलियम का निरीक्षण और नमूनाकरण– (1) केन्द्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को नाम से या कार्यालय के आधार पर किसी भी स्थान पर प्रवेश

करने के लिये अधिकृत कर सकती है, जहां पेट्रोलियम का आयात, परिवहन, भंडारण किया जा रहा है, उत्पादित, परिष्कृत या मिश्रित और उसमें पाये जाने वाले किसी भी पेट्रोलियम के परीक्षण के लिये निरीक्षण और नमूने लेने के लिये।

(2) नियम केन्द्र सरकार बना सकती है

(क) परीक्षण के लिये पेट्रोलियम के नमूने लेने को विनियमित करना,

(ख) उन मामलों का निर्धारण करना जिनमें लिये गये नमूनों के मूल्य और भुगतान के तरीके के लिये भुगतान किया जाएगा और

(ग) आमतौर पर इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को विनियमित करना।

5. उपरोक्त दो प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का पूरा मामला इस तर्क पर आधारित है कि याचिकाकर्ता के पास पेट्रोलियम उत्पाद, जो इस मामले में पेट्रोल था, को फिर से परीक्षण की मांग करने का वैधानिक अधिकार था, लेकिन प्रभावी रूप से उन्हें इस अधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दिया गया है।

6. प्रतिवादी तेल कंपनी का स्पष्ट रूप से यह एक आकर्षक खण्डन है, जिसका तर्क पहली बार याचिककर्ता द्वारा नवम्बर, 2017 में दायर याचिका में उठाया गया है। जो उत्पाद लिया गया था, वह मिलावटी पाया गया। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस के खण्डन के जबाव में याचिककर्ता को निलंबित करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इस बिन्दु को कभी नहीं उठाया गया। दिनांक 18.10.2013 को याचिकाकर्ता के मामले में, याचिककर्ता को कहीं भी अधिनियम की धारा 20 के पुनः परीक्षण का वैधानिक अधिकार नहीं मिला है और प्रयोगशाला रिपोर्ट की आपूर्ति में निराशाजनक देरी हुई है। वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस के खिलाफ एक रिट याचिका डब्ल्यू.पी.एम.एस. 2677 वर्ष 2013 थी, जिसमें शुरू में इस न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.11.2013 को एक स्थगन आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस न्यायालय के एक अन्य विद्वान न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 23.08.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित करने इसका निस्तारण किया गया था –

> ''श्री आदित्य सिंह, अधिवक्ता, सुश्री इन्दु शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।
>
> प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री पी0के0 चौहान।
>
> याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 03.10.2013 द्वारा कारण बताओ नोटिस

जारी किया गया था, याचिककर्ता ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.10.2013 का जबाव दायर किया। आपेक्षित नोटिस के माध्यम से, याचिकाकर्ता की आपूर्ति भी निलंबित कर दी गयी थी।

तद्नुसार, रिट याचिका का निस्तारण उत्तरदाताओं को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वे आज से छः सप्ताह की अवधि के भीतर मौखिक/विस्तृत आदेश पारित करके और दिनांक 18.10.2013 तक याचिककर्ता की आपूर्ति में गड़बड़ी नहीं की जाएगी।''

7. याचिकाकर्ता का लाइसेंस समाप्त होने के बाद उसने डब्ल्यू.पी.एम.एस. 2813 वर्ष 2017 के रूप में रिट याचिका दायर की, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2019 को अवलोकर कर निस्तारित किया गया था और याचिकाकर्ता ने उस आदेश के खिलाफ भी एक वैधानिक अपील दायर की गयी थी, जिससे उसका लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था। अब अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित 24.05.2018 द्वारा याचिकाकर्ता की वैधानिक अपील को भी खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के साथ–साथ उसके लाइसेंस की समाप्ति के प्रारंभिक आदेश को चुनौती दी है।

8. पहले की दो रिट याचिकाओं में से किसी में भी, या इससे पहले किसी भी बिन्दु पर, याचिकाकर्ता ने यह बात नहीं उठाई कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण अधिनियम की धारा 20 के तहत याचिकाकर्ता का वैधानिक अधिकार समाप्त हो गया है।

9. यहां याचिकाकर्ता का मुख्य आधार यह है कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध वैधानिक उपाया निराश था। हालांकि, जैसा कि हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं, यह मैदान था, याचिकाकर्ता द्वारा पहले कभी नहीं लिया गया। पहली बार उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में इस आधार को लिया है। इस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया निष्कर्ष इस प्रकार है –

''(ii) मुझे लगता है कि अपीलकर्ता का यह तर्क है कि अपीलकर्ता को परीक्षा परिमाण प्रदान करने के लिये विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया गया था, यह गलत है। वर्तमान मामले में निरीक्षण दिनांक 10.07. 2013 को किया गया था, नमूने दिनांक 20.07.2013 को (10 दिनों के भीतर) प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त किये गये थे, नमूनों का विश्लेषण दिनांक 22.07.2013 को (25 दिनों के भीतर) किया गया था और इसकी प्रति श्री राजेश बत्रा को तब प्रदान की गयी थी, जब दिनांक

03.10.2013 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने यह दिखाने के लिये एमडीजी में दी गयी समय–सीमा का उल्लेख किया है कि समय–सीमा प्रकृति में अनिवार्य थी। मैं देखता हूं कि विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों में दी गयी समय सीमा केवल नमूना संग्रह, परीक्षण और रिपोर्ट की आपूर्ति के लिये समय–सीमा की पसंदीदा अवधि है। आगे, अपीलकर्ता न तो प्रतिवाद कर रही है और/या ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है कि उसके द्वारा रिपोर्ट देर से प्राप्त करने के कारण, उसका कारण पक्षपातपूर्ण है और उसका मामला कमजोर हो गया है। मैं देखता हूं कि प्रयोगशाला में मोटर स्पिरिट उत्पाद भेजने और परीक्षण करने में कोई देरी नहीं हुई थी और कारण बताओ नोटिस के साथ अपीलकर्ता को परीक्षण के परिणाम की सूचना दी गयी थी और इस प्रकार कुछ देरी के पश्चात आपूर्ति की गयी थी, जो मेरे विचार में और जैसा कि पहले देखा गया था, अपीलकर्ता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है।''

10. यहां दो प्रश्न हैं, पहला क्या समय सीमा अनिवार्य थी और दूसरा कि इस समय सीमा का उल्लंघन होने पर याचिकाकर्ता को क्या लाभ दिया जा सकता था।

11. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दिशानिर्देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार की रोकथाम का विनियमन) आदेश, 2005 के रूप में जाना जाता है, द्वारा जारी किये गये हैं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के खण्ड 8 के उप–खण्ड (4), (5) और (6) पर भरोसा करेंगे, जो निम्नानुसार है –

''(4) प्राधिकृत अधिकारी दस दिनों के भीतर लिये गये उत्पाद के नमूने को अनुसूची III में वर्णित किसी भी प्रयोगशाला में या ऐसी किसी अन्य प्रयोगशाला को भेजेगा, जब इसे इस उद्देश्य के लिये आधिकारित राजपत्र में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, यह जांचने की दृष्टि से विश्लेषण करने के लिये किय क्या उत्पाद का घ ानत्व और अन्य पैरामीटर क्रमशः मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल के लिये भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आई.एस. 2796 और आई.एस. 1460 ब्यूरो की आवश्यकता के अनुरूप है।

(5) प्रयोगशाला, उपखण्ड (4) में वर्णित प्रयोगशाला में नमूना प्राप्त होने के बीस दिनों के भीतर परीक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(6) प्राधिकृत अधिकारी उचिक कार्यवाही के लिये प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर डीलर या ट्रांसपोर्ट या संबंधित व्यक्ति और तेल कंपनी, जैसा भी मामला हो, को परीक्षण के परिणाम की सूचना देगा।''

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि एक विशिष्ट अवधि दी गयी थी, जिसके भीतर एक प्रयोगशाला प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी अर्थात बीस दिनों के भीतर और उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर डीलर को प्रयोगशाला से परीक्षण के परिणाम की सूचना देगा, जिसका याचिकाकर्ता के अनुसार उल्लंघन किया गया है।

14. भले ही तर्क के लिये यह मान लिया जाए कि दिशानिर्देश अनिवार्य थे और निर्धारित अवधि निर्देशिका नहीं थी, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया गया है। तथ्य अभी भी बना हुआ है कि याचिकाकर्ता को तथाकथित पूर्वाग्रह के बारे में कभी भी समझाया नहीं गया था, उसके द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रासंगिक समय पर। याचिकाकर्ता के अनुसार 60 दिनों की देरी हुई है और उत्पाद की शेल्फ लाइफ केवल 90 दिनों की थी और प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता को 90 दिनों के बाद रिपोर्ट दी गयी थी। इसलिये अधिनियम की धारा 20 के तहत सैंपल की दूसरी जांच की मांग उठाना बेईमानी था।

15. यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तथाकथित ''शेल्फ लाइफ'' के सम्बन्ध में, याचिकाकर्ता ब्रिटिश पेट्रोलियम की रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं पर निर्भर करता है, जिसकी प्रामाणिकता था, किसी भी स्तर पर जांच नहीं की। भले ही इन रिपोर्टों को सही मान लिया जाए, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को यह दलील पहले दिये गये मौके पर उठानी चाहिए थी, जब उसे रिपोर्ट मिली थी और कम से कम जब उसे कारण बताओ नोटिस मिला था, जो कि उसने स्वीकार नहीं किया है। यह दलील की उसे अधिनियम की धारा 20 के तहत दूसरे परीक्षण का अधिकार था और अधिकार निराश हो गया, क्योंकि पेट्रोलियम का फिर से परीक्षण नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता द्वारा चार साल से अधिक की अवधि के बाद पहली बार एक अपील में उठाया गया था, इसलिये याचिकाकर्ता को इस

याचिका का कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

16. इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा अन्य उच्च तकनीकी आपत्तियां उठायी गयी हैं, जैसे लॉरी टैंक आदि का विवरण रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया जा रहा है। न्यायालय इस पहलू में नहीं जाएगा। यह सब अदालत को देखना है कि याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करने के लिये प्राधिकरण द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया उचित प्रकिया थी या नहीं। याचिकाकर्ता की हर स्तर पर निष्पक्ष सुनवाई की गयी है और नियमानुसार लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कारण यह है कि याचिकाकर्ता मिलावटी मोटर स्पिरिट बेच रहा था। यह स्थिति होने के कारण, रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

17. उपरोक्त विश्लेषण के मध्येनजर, रिट याचिका विफल रहती है और इसे खारिज किया जाता है।

(सुधांशु धूलिया, जे.)

01.12.2018